



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112021-231247
CG-DL-E-18112021-231247

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4422]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 2021/कार्तिक 27, 1943

No. 4422]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 2021/KARTIKA 27, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2021

का.आ. 4789(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केंद्रीय सरकार पर्यावरण, (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम 3 के तहत यथापेक्षित उससे संभावित रूप से प्रभावित होने वाले लोगों के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है; और एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से साठ दिन की अवधि समाप्त होने पर अथवा उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर आपत्तियां अथवा सुझाव प्रस्तुत करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियां अथवा सुझाव लिखित रूप में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्र सरकार के विचारार्थ सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 के पते पर अग्रेषित कर सकता है, अथवा मंत्रालय के ई-मेल पते h.kharkwal@nic.in तथा saranya.p@gov.in पर प्रेषित कर सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1242(अ), तारीख 8 मार्च, 2019 [इसमें इसके पश्चात् द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (आईसीआरजेड) अधिसूचना, 2019 के रूप में

उल्लिखित] द्वारा केंद्रीय सरकार ने कुछ तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना और विस्तार, संचालनों और प्रक्रियाओं पर निर्बंधन अधिरोपित किए गए थे;

और, केंद्रीय सरकार को अण्डमान और निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एएनसीजेडएमए) से आईसीआरजेड अधिसूचना, 2019 के उपबंधों के तहत आईसीआरजेड क्षेत्र के भीतर गैस-आधारित विद्युत संयंत्र को शामिल करने से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

और, राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एनसीजेडएमए) ने दिनांक 16 अगस्त, 2021 को आयोजित अपनी 43वीं बैठक में यह महसूस किया कि अत्यधिक प्रदूषणकारी स्रोतों नामतः परंपरागत डीजल जनरेटर (डीजी सेटों) पर निर्भरता में कमी लाते हुए द्वीप निवासियों की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने हेतु आईपीजेड/आईसीआरजेड अधिसूचनाओं में एक समर्थक उपबंध का प्रावधान करने की आवश्यकता है;

और, उचित विचार-विमर्श के पश्चात् एनसीजेडएमए ने सिफारिश की है कि केवल 100 वर्ग कि.मी. से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल वाले द्वीपों में आईसीआरजेड क्षेत्र के भीतर गैस आधारित विद्युत संयंत्र को शामिल करने पर विचार करने की आवश्यकता है;

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम 3 के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (आईसीआरजेड) अधिसूचना, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, अनुच्छेद 4 में, खंड (V) आईसीआरजेड-III में, पैरा (v) के पश्चात् उप-खंड (ग) में निम्नलिखित खंड अंतर्विष्ट किया जाएगा अर्थात्:-

(vi) 100 वर्ग कि.मी. से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल वाले द्वीपों में गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना करना

[फा. सं. 12-12/2018-आईए III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 1242(अ), तारीख 8 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित की गई:

1. का.आ. 2(अ), तारीख 1 जनवरी, 2021; और
2. का.आ. 2239(अ), तारीख 9 जून, 2021 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2021

S.O. 4789(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at h.kharkwal@nic.in and saranya.p@gov.in;

Draft Notification

WHEREAS by notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1242(E), dated the 8th March, 2019 [hereinafter referred to as the Island Coastal Regulation Zone (ICRZ) Notification, 2019], the Central Government declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone;

AND WHEREAS, the Central Government have received a proposal from Andaman and Nicobar Coastal Zone Management Authority (ANCZMA) regarding inclusion of Gas based power plant within the ICRZ area under the provisions of the ICRZ Notification, 2019;

AND WHEREAS, the National Coastal Zone Management Authority (NCZMA) in its 43rd meeting held on the 16th August, 2021 has felt that there is a need to provide an enabling provision in the IPZ/ ICRZ Notifications to meet the energy requirement of the islanders while reducing the dependency on highly polluting sources viz. conventional Diesel Generator (DG sets).

AND WHEREAS, after due deliberation NCZMA has recommended that the inclusion of Gas based power plant within ICRZ area only in islands with geographical areas >100 sq.km. needs consideration;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Island Coastal Regulation Zone (ICRZ) Notification, 2019, namely: -

In the said notification, in paragraph 4, in clause (V) ICRZ-III, in Sub-Clause (c) after para (v), the following clause shall be inserted namely: -

(vi) *Setting up of Gas based power plant in islands with geographical areas >100 sq.km.*

[F. No. 12-12/2018-IA III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1242(E), dated the 8th March, 2019 and subsequently amended as follows:

1. S.O 2(E), dated the 1st January, 2021; and
2. S.O. 2239(E), dated the 9th June, 2021.